मध्य रेल

प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता का कार्यालय
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई- 400001

सं: L.102.LG.5.Safety/Accident/31

दिनांक: 07.10.2025

Sr. DEE (TRO) BB, BSL, NGP
Sr. DME(Op) PA
DME (O&C) SUR

CEE (Op) Instruction No. 08/2025 (Hindi version)

विषय: स.लो.पा. द्वारा आर एस वाल्व के प्रयोग से SPAD मामलों को टालना।

दिनांक 28.09.2025 को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में एक SPAD का मामला हुआ। मामले के विश्लेषण में यह पाया गया कि यद्यपि ALP ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन देर से ब्रेक लगाने के कारण SPAD को रोका नहीं जा सका। आगे यह भी पाया गया कि पीले संकेत को पार करते समय गाड़ी की गति बहुत अधिक (113 kmph) थी, लेकिन ALP ने प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि इस संबंध में ALP के लिए कोई स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त को देखते हुए, ALPs के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक है कि यदि ट्रेन की गति निर्धारित सीमा से अधिक हो तो क्या कार्यवाही करनी है। अतः इस संबंध मे निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:

कोचिंग ट्रेन के ALP के लिए:

- **एक पीला संकेत** पार करने के बाद यदि गाड़ी की गति **70 kmph** से अधिक है और Loco Pilot गति कम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आर एस वाल्व खोल दें।
- **सिग्नल के लाल होने की स्थिति में सिग्मा बोर्ड से एक खम्भे पहले** यदि गाड़ी की गति **20 kmph** से अधिक है और Loco Pilot गति कम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आर एस वाल्व खोल दें।

मालगाड़ी के ALP के लिए:

- **एक पीला संकेत** पार करने के बाद यदि गाड़ी की गति **40 kmph** से अधिक है और Loco Pilot गति कम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आर एस वाल्व खोल दें।

- **सिग्नल के लाल होने की स्थिति में सिग्मा बोर्ड से एक खम्भे पहले** यदि गाड़ी की गति **15 kmph** से अधिक है और Loco Pilot गति कम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आर एस वाल्व खोल दें।

उपनगरीय (Suburban) खंड में जहाँ सिग्नल की दूरी कम है, वहाँ उपरोक्त गति सीमा आधी होगी।

घाट खंड (Ghat section) में पहले से जारी निर्देश यथावत रहेंगे।

कृपया सभी रनिंग स्टाफ को इस सम्बन्ध में काउंसिल किया जाना सुनिश्चित करें ताकि चालक दल द्वारा ब्रेक देर से लगाने के कारण होने वाले SPAD के मामलों को रोका जा सके।

कृपया ध्यान दें कि यह निर्देश केवल **ALPs** के लिए हैं। लोको पायलट को CLIs द्वारा बताए गए पूर्व निर्धारित निर्देशों का ही पालन करना है।

यह निर्देश प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता/मध्य रेल की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

07.10.2025

(संजय सिंह)

मुख्य विद्युत अभियंता/ परिचालन

Central Railway

PCEE's Office,
Mumbai CSMT-400001

No L.102.LG.5.Safety/Accident/31 Date: 07.10.2025

Sr. DEE (TRO) BB, BSL, NGP
Sr. DME(Op) PA
DME (O&C) SUR

CEE (Op) Instruction No. 08/2025

Sub: Application of RS valve by ALP to avoid SPAD cases.

On 28.09.2025, one SPAD case occurred in KGP division of SER. On analyzing the case, it was revealed that, though the ALP had applied emergency brake, he could not avoid the SPAD due to late application of Emergency brake. Further it was also noted that the speed of the train was too high (113 kmph) while passing the yellow signal but ALP failed to react as there is no clear instruction to ALP in this regard.

In view of the above, there needs to be clear guideline to ALPs to act in case speed of the train is more than specified. Divisions are advised to implement the following instructions:

1. **ALPs of coaching trains should be counselled to immediately apply RS valve, if the speed is more than following and speed is not reduced by the Loco Pilot:**
   After passing caution aspect (One yellow) : 70 kmph
   One mast before sigma board in case of danger aspect (Red) : 20 kmph

2. **ALPs of Goods trains should be counselled to apply RS valve, if the speed is more than following and speed is not reduced by the Loco Pilot:**
   After passing caution aspect (One yellow) : 40 kmph
   One mast before sigma board in case of danger aspect (Red) : 15kmph

   In suburban section where the spacing of signals is lesser, above speeds will become half.

   On Ghat section the already existing instructions shall continue.

Divisions are advised to counsel the Running staff to prevent SPAD cases due to late application of brake by crew. It may be noted that these instructions are for ALPs only and the LPs will follow the already laid down instructions as counselled by CLIs.

This has the approval of PCEE / CR.

07/10/2025

(Sanjay Singh)
Chief Electrical Engineer (OP)